संख्या-853/दस-2-2005-12(46)/2005

प्रेषक,

बी0पी0 गुप्ता
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तरांचल, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 14 फरवरी, 2006

विषयः- अनुदान सं0-27 में आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत बाँस एवं रेशा विकास कार्यों हेतु वर्ष 2005-06 की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक नि. 419/35-1-बी, दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 एवं शासनादेश संख्या-2316/05, दिनांक 16-08-2005 एवं शासनादेश संख्या-2616/दस-2-2005-12(46)/2005, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के बाँस एवं रेशा विकास कार्यों के लिए वर्ष 2005-06 हेतु उक्त शासनादेशों में स्वीकृत रू0 2,50,00,000/- के अतिरिक्त रू0 5,00,00,000 (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि में से वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि विभाग द्वारा परिषद को उनके द्वारा कराये गये कार्यो के विपरीत भौतिक सत्यापन के आधार पर भुगतान परिषद के माध्यम से किया जाय एवं अवशेष धनराशि विभाग के निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार स्वीकृत/गठित माइक्रोप्लान के तहत वन पंचायतों/संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के माध्यम से कार्य कराया जाय.
2. प्रश्नगत धनराशि का सदुपयोग शासन के निर्धारित मानकों, शर्तो, प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय.
3. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0 7,50,00,000/- (रू0 सात करोड़ पचास लाख) के सापेक्ष कराये गये कार्यों की समग्र भौतिक सत्यापन रिपोर्ट विभागाध्यक्ष की टिप्पणी /संस्तुति सहित शासन को माह सितम्बर, 2006 तक उपलब्ध कराया जाय. भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा. प्रश्नगत कार्यो हेतु सम्पूर्ण अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह अप्रैल, 2006 तक विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षण कराकर इसकी रिपोर्ट 15 मई, 2006 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
4. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय चालू योजना पर शासन द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार स्वीकृत/गठित माइक्रोप्लान पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय.
5. योजना पर आने वाला व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
7. क्षेत्र की योजनाओं के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
8. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.

क्रमशः.....2

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
10. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया सुनिश्चित किया जायेगा.
11. योजना के कियान्वयन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी तथा उसके अधीनस्थ वन कर्मियों को पूर्ण संलग्न किया जाय, ताकि योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो.

3. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान सं0-27 के शीर्षक-2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 102-सामाज तथा फार्म वानिकी 04-बाँस प्रजातियों का रो मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाली जायेगी.

4. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-240/सत्ताईस(2)/2006 दिनांक 25 जनवरी, 2006 द्वा उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव

संख्या-853(1)/दस-2-2005, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहर
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून.
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन.
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल बाँस एवं रेशा विकास परिषद्, देहरादून.
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन.
8. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल.
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून.
13. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी.
14. बजट निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल (जे).

(श्याम सिंह)
अनु सचिव